न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री सूरजभान बिश्नोई, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 276/2023 अन्तर्गत धारा 251 'क' Rt Act

अनवान :–

प्राथीगण:–

1.नाथाराम 2.जुजाराम पि.जेठाराम 3.पपूदेवी पत्नि जेठाराम 4.प्रहलादराम 5.गुसाईराम 6.घमण्डाराम पि.तोगाराम जाति जाट, निवासी धारासर, तहसील चौहटन,जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण:–

1.तहसीलदार चौहटन

वकील प्रार्थीगण :– श्री जगदीश पोटलिया

वकील विप्रार्थीगण :–

निर्णय

दिनांक 14.08.2024

प्रार्थीगण नाथाराम पुत्र जेठाराम, जाति जाट, निवासी धारासर, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (क) राजस्थान काश्तकारी / संशोधन अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण सदभावी काश्तकार है। प्रार्थीगण के खातेदारी का खेत मौजा धारासर, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर में खसरा नं. 890/435 रकबा 12.8042 हैक्टयर का आया हुआ है। उसकी उक्त जोत पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है एवं काश्त के समय प्रार्थीगण की जोत के चारों ओर के काश्तकार अपनी अपनी काश्त कर लेते है। जिससे प्रार्थीगण अपनी जोत में आने जाने से बाधित होता है। अतः प्रार्थीगण को विप्रार्थी के खसरा सं. ... रकबा 01.14 बीघा (00.2752 हैक्टयर) मे से आने जाने के लिए रास्ता दिया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया, वकील प्रार्थीगण ने चाहे गये रास्ते की रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया। तहसीलदार चौहटन से चाहे गये रास्ते की मौका

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.09.10 11:02:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसका अवलोकन किया गया , शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई । प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण को रास्ते की अत्याधिक आवश्यकता है, तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को रास्ता दिया जावे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। जैसा कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण के खेत से गांव , आबादी, बस स्टेशन, स्कूल आदि तक आवागमन का कोई अन्य रास्ता नहीं है।

अतः प्रार्थीगण की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है वो न्याय संगत है। प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है उसका विवरण निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	खसरा संख्या	रकबा हैक्टयर में	किस्म	रास्ते की चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	435	00.2752	बा.दो.	20 फीट	00.1376	धारासर	राज.सरकार जरिये तहसीलदार चौहटन

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में अनुसार प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरान के अंदर से जो रास्ता दिया जाना है वह सलंग्न नक्शा में बरंग हरा से दर्शाया गया रास्ता प्रार्थीगण को [illegible] है और इस प्रस्तावित नए मार्ग में कोई मकान व कीमती पेड और [illegible] /टांका बना हुआ है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी / संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर [illegible] से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/ डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.09.10 11:02:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

जा सकता है। और अन्य कोई पेड फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित नए रास्ते में कोई मकान व कोई कीमति पेड़ या अन्य कोई संरचना नहीं है। अतः प्रभावित (पक्षकारों) / विप्रार्थीगण को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रार्थीगण द्वारा देय होगी और प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों को दी जाने वाली राशि नए रास्ते के लिए प्रस्तावित समाविष्ट भूमि के रकबे की डीएलसी द्वारा निर्धारित दर से दौगुणा राशि के बराबर होगी। डीएलसी द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी और इसी आधार पर प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण / प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस में बरंग हरा 20 फीट चौडा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तो की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न मौका नक्शा ट्रेस में बरंग हरा दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा के बराबर होगी।
3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इनकार करता हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.09.10 11:02:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी । क्षतिपूर्ति राशि तहसील में जमा करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।

4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में **''रास्ता''** के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।
5. प्रार्थीगण को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीगण को नया तथा 20 फीट चौड़ा रास्ता तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय सलंग्न नक्शा में बरंग हरा दिए जाने का आदेश आज दिनांक 14.08.2024 को दिया जाता है। अतः नियमानुसार निर्णय पालना हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

(सूरजभान विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.09.10 11:02:08 IST
Reason: SelfAttested

मौका रिपोर्ट

(धारा 251(A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत)

मैं ..[illegible].. (नाम) भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त ..[illegible].. कार्यालय, तहसीलदार ..[illegible].. के आदेश कमांक 243...95 दिनांक ../../24 की पालना में भूमि की मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु आज दिनांक 22.07.24 समय 12 बजे आराजी खसरा नम्बर- 435 वाके ग्राम ..[illegible].. पटवार मंडल ..[illegible].. पर श्रीमती अनु चौधरी पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस कमांक 01605 दिनांक 15/06/24 द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी
01	नाथाराम	जेठाराम	18	जाट	प्रार्थी
02	पुनाराम	जेठाराम	22	जाट	—
03	[illegible]	तेजाराम	45	जाट	—
04	[illegible]	तेजाराम	62	जाट	—

नाथाराम

पुनाराम

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआयना किया गया एवं मौका रिपोर्ट निम्नानुसार तैयार की गई।

क्र.सं.	खातेदार का नाम व पता	ख.नं.	रकबा	हिस्सा	हिस्सानुसार रकबा	DLC दर	मूल्य	कृषि/अकृषि	विवरण
01	राजेन्द्र कुमार राजीव [illegible]	435	0.2752	20	0.1376	12,269 बीघा	10427/-	बारानी	[illegible]

अनु चौधरी
पटवारी (भू.अ.) [illegible]
तहसील [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.09.10 11:02:08 IST
Reason: SelfAttested

मालाराम V/s तहसीलदार चौहटन

नक्शा मौका रास्ता खातेदार परा खातेदार कि खसरा 435 मे राजस्व आवेदन क्र. 270/2023 मे प्रस्तावित रास्ता 251(A)

स्के 1:1000 का नक्शा

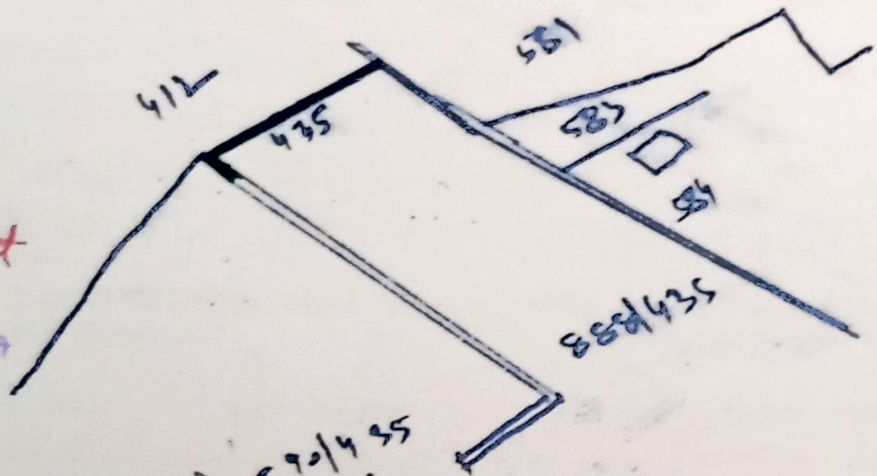

Ex-count

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

उक्त प्रस्तावित भूमि मे कोई पाइपलाईन, मकान या स्थायी निर्माण नही मौके पर भूमि खातेदार आवेदक व आने जाने के लिए उक्त प्रस्तावित भूमि के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता निकलता उपलब्ध नही उक्त भूमि पर किसी न्यायालय मे स्थगन आदेश नही है उक्त भूमि जानकारी मौके निर्विवाद स्थिति है।

(—) रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि बना है

उपस्थित लोगों को नक्शा (खातेदार) पत्र पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करवाये ... राजस्व निरीक्षक ... चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.09.10 11:02:08 IST
Reason: SelfAttested

अनु चौधरी
पटवारी (भू.अ.) ...सर
...चौहटन

तहसीलदार चौहटन

जुगताराम धमडाराम नाथाराम

उक्त मौका रिपोर्ट उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनायी गई। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	प्रार्थी/अप्रार्थी
01	नाथाराम	जोगाराम	जाट	नाथाराम	प्रार्थी
02	जुन्झाराम	जोगाराम	जाट	जुझाराम	—
03	धमण्डाराम	तेजाराम	जाट	धमडाराम	—
04	पेमाराम	तोगाराम	जाट		—

निम्न पक्षकारों ने मौका रिपोर्ट पढ़, सुन, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी
Nil					

मौके पर उपस्थित अन्य मौतबिरान को भी उक्त मौका रिपोर्ट पढ़कर सुनायी गयी और उनके निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ मोबाईल नं.
01	गोवर्धनराम	तोगाराम	50	जाट	~~[illegible]~~ 09983481388
02	रेवाराम	चिमनाराम		जाट	8005628090

इस प्रकार आज दिनांक 2[illegible] 2024 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.09.10 11:02:08 IST
Reason: SelfAttested

अनु चौधरी
पटवारी (भू.अ.) [illegible]
तहसील-चौहटन
हस्ताक्षर
पटवारी
प. म.

हस्ताक्षर
भू. अ. निरीक्षक
वृत.........2.1.........

तहसीलदार चौहटन